Academe *Journal of Education & Psychology* *ISSN: 2249-040X*
Volume-15, Issue-2, Year-2025 (July-December) *Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)*
PP: 370-376 *Journal Website www.academejournal.in*

ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धतिः छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में

डॉ. अनिल कुमार काठले

व्याख्याता

शा.उ.मा.वि. केसदा वि.खं.–सिमगा,जिला–बलौदाबाजार छ.ग.

डॉ. नवोदिता टोप्पो,

अतिथि व्याख्याता

शा.दू. ब. महिला महाविद्यालय रायपुर

ब्रिटिश निवासी भारत व्यापार के उद्देश्य से आये थे। तथा उनके साथ उनकी संस्कृति भी भारत आयी। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में सुधार करके यहां के कुप्रथाओं को हटाने का प्रयास किया, जिससे स्त्रियों की दशा में सुधार होने लगा। स्त्रियों की दशा सुधारने में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, महर्षि कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि महापुरूषों ने काम किया।

औपनिवेशिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज सामाजिक कुरूतियों से जकड़ा हुआ था। समाज पुरूषों के हाथ में था। परन्तु उसे यह ज्ञात नही था कि देश तभी गुलाम होता है जब समाज सभी लोगों को अपने साथ न ले, महिलाओं की उपेक्षा करें, जनजातीय एवं पिछड़े समाज की उपेक्षा करें। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में यही स्थिति बनी हुई थी। ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में अंग्रेज भारत को उपनिवेश बनाकर कच्चे माल का भण्डार एवं तैयार माल के लिए बाजार पा लिया था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति भी भारत को राजनैतिक दासता में जकड़ चुका था। पश्चिमी चिन्तन दर्शन भी भारतीयों के मन को प्रभावित किया। शिक्षित भारतीय अपने देश से पश्चिम की तुलना करने लगे, तब पाया कि भारत एवं प्राचीन देश, संस्कृति समृद्ध उत्तम विचार धारा होने के बावजूद एक पिछड़ा देश है। यदि साम्राज्यवादी अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है तो भारत में सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से आना चाहिए। और सबसे पहले सामाजिक आन्दोलन राजा राममोहन राय के नेतृत्व में 1828 में बंगाल में हुआ, तथा भारतीयों ने सामाजिक जीवन में स्त्री समानता को स्वीकार किया।[1]

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1813 की चार्टर एक्ट में एक लाख रूपये का प्रावधान किया तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रसार करने का छूट प्रदान किया गया। ईस्ट इण्डिया कंपनी अपने जहाजों से ईसाई मिशनरियों को लाती थी। तथा कम्पनी के नियमानुसार उन्हे संरक्षण देते थे। तथा इन मिशनरियों ने धर्म प्रसार के साथ–साथ निम्न जाति के लोगो के लिए विद्यालय खोलने प्रारंभ किये। 1819 में ईसाई मिशन ने लड़कियों के लिए पृथक स्कूल खोला क्योकि लड़कों के स्कूल में भारतीय लड़कियों को नही पढ़ाया जाता था। 1824 में 'लेडिज सोसायटी फार नेटीव फीमेल एजुकेशन' स्थापित किया गया। इस संस्था की संरक्षक लेडी एमहर्स्ट बनी। इस संस्था के अंतर्गत 30 कन्या विद्यालय खोली गई।[2]

सन् 1797 के पश्चात् एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ चार्ल्स ग्रांट जो कि बाद में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निदेशक मण्डल का अध्यक्ष बना। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इसके पक्षधर लोगो को पाश्चात्यवादी विचार धारा वाला कहा। इसने प्राच्यवादी शिक्षा (देशी शैक्षिक पद्धति) को चुनौती देना प्रारंभ किया। सरकार के विधि सदस्य लार्ड मैकाले प्राच्यवादी देशी शिक्षा के पक्षधरो के तर्को को अस्वीकार कर दिया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जोरदार समर्थन किया। मैकाले का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग तैयार करना कि सरकार इन्हे निम्न कोटी की नौकरी दे। ताकि यहां के लोगो पर शासन करने में सहायता कर सके। भविष्य में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सम्पन्न वर्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग सके ताकि ये सम्पन्न वर्ग भारत के जन सामान्य को इस बात के लिए तैयार कर सके कि यूरोप की फैक्ट्रियों से तैयार उत्पाद को भारतीय बाजारो में खपा सके तथा कम कीमत पर

© Copyright @ Authors

प्राप्त भारतीय किसानो के कच्चे माल को ब्रिटेन भेज सके। शिक्षा के साहित्य में इस विचार धारा को 'अधोमुखी निस्यन्दन' सिद्धांत कहा गया।[3]

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु कंपनी ने धन व्यय किया तथा सन् 1837 में अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गयी। धीरे–धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी क्योकि सरकार ने छोटे–छोटे नौकरियों के द्वार खोल दिये गये।

भारत में मध्यकाल में बालिका शिक्षा की उपेक्षा की गई। मध्यकाल के पश्चात् भारत में बालिका शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन काल में हुआ। ब्रिटिश कालीन स्त्री शिक्षा को ध्यान दे तो भारत में महिला शिक्षा का प्रथम श्रेय सावित्री बाई फूले को दिया जाता है। 5 सितम्बर 1848 में पूणे में अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। एक वर्ष में 5 महिला विद्यालय खोलने में सफलता प्राप्त की। 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं किया जा सकता। सावित्री बाई फूले उस विद्यालय की प्रथम शिक्षिका व प्राचार्य थी। इस नेक काम के लिए तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। उस दौर में सावित्री बाई फूले न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि लड़कियों की शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया।

भारत मे स्त्री शिक्षा के लिए पहल आधिकारिक रूप में 'वुड डिस्पैच' (1854) को माना जाता है। जिसमें सिफारिशें की गयी कि स्त्री शिक्षा को उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाये। आदेश पत्र उन व्यक्तियों की सहारना की गयी जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए धन दिया था। वुड डिस्पैच को भारतीय इतिहास में शिक्षा की 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।

लार्ड कर्जन ने अपने शासन काल में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। परन्तु भारतीयों की रूढ़िवादिता, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पुत्र–पुत्री में भेद, धार्मिक अन्धविश्वास आदि के कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई। जिसके समाधान के लिए बालिका विद्यालय खोले एवं वहां महिला अध्यापिका की नियुक्ति करके महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।[4]

सन् 1913 में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया 1927 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें महिलाओं को पुरूषों के बराबर शिक्षा का अधिकार होने का नारा दिया गया। हार्टोग समिति (1929) ने स्त्री शिक्षा की सिफारिश करते हुए लिखा कि ''शिक्षा प्राप्त करना केवल पुरूषों का ही विशेषाधिकार नहीं है अपितु स्त्री एवं पुरूष दोनों का समान अधिकार है।'' हमारा यह मानना है कि भारतीय शिक्षा की प्रगति के हित में शिक्षा प्रसार की प्रत्येक योजना में महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति

पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ :–

रायपुर जिले में पश्चिमी शिक्षा का सूत्रपात उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशके में हुआ। हेविट के अनुसार तत्कालीन रायपुर जिले में सन् 1864 में कुल 58 शाला तथा 2355 छात्र थे। यह संख्या शताब्दी के अंत तक (1898) बढ़कर 237 शाला तथा 15485 छात्र हो गये।

1905 में दुर्ग जिला का विभाजन हो जाने के बाद 201 शाला तथा 21728 विद्यार्थी पंजीकृत थे जिसमें से 2227 बालिकाएं थी, बालिकाओं की यह संख्या मध्यप्रांत के किसी भी जिले से सर्वाधिक है। इस समय जिले में 11 उच्च शालाओं में से 5 शाला शासकीय तथा 6 शाला मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे थे। रायपुर में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए उर्दू शाला तथा खरियार में उड़िया शाला थी। शासकीय हाई स्कूल रायपुर (अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला) 1887 में पूर्व माध्यमिक शाला के रूप में प्रारंभ हुई थी। यह 1887 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से तथा 1884 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध थी।

© Copyright @ Authors

राजाओं के पुत्रो के लिए रायपुर में राजकुमार कॉलेज 1894 में स्थापित हुआ था। 1909 में इस महाविद्यालय में 26 छात्र थे। 1894 में इसे जबलपुर से अंतरित किया गया था। इन सभी के अलावा 1909 में मिशनरियों द्वारा प्रबंधित मूक–बधीर शाला, अंध शाला तथा औद्योगिक कर्मशाला थी।[5]

19वीं सदी में स्थापना :–

1818 ई. में अप्पा साहब के सत्ताच्युत होने के पूर्व, नागपुर का शासन ब्रिटिश नियंत्रण में था। छत्तीसगढ़ अनेक सूबाओं से शासित हो रहा था। ब्रिटिश अधीक्षक कर्नल एगन्यू के शासन काल (1830 से 1854 पुनः भोसला शासन) में शिक्षा के संगठन के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। भोसलों के अधीन छत्तीसगढ़ ने शिक्षा को प्रोत्साहित नही किया गया। कोई भी शासकीय शालाएं स्थापित नहीं किया गया।[6]

1854 में वुड के डिस्पैच होने के बाद भी शासन की रूचि मध्यप्रांत में सागर तथा नर्मदा क्षेत्र में ही परिलक्षित हुई है। यहां तक की मिशनरियों द्वारा प्रयासों का भी रायपुर में अभाव है।

1861 में मध्यप्रांत के गठन के पश्चात तथा 1962 में छत्तीसगढ़ संभाग, लोक शिक्षण शिक्षा विभाग के गठन के बाद छत्तीसगढ़ संभाग पूर्वी वृत्त में आ गया। जिसका मुख्यालय रायपुर था। जो वृत्त शाला निरीक्षक के अधीन था।

20वीं शताब्दी में स्थापना :–

सन् 1927–28 छत्तीसगढ़ संभाग का शाला निरीक्षक के अधीन पृथक वृत्त के रूप में गठन किया। 1938 में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाला के पुनर्गठन के पश्चात् अन्य पदों के साथ छत्तीसगढ़ शाला वृत्त निरीक्षक का पद समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर जिला निरीक्षक की पद प्रारंभ किया गया। संचालक लोक शिक्षण की सहायता के लिए तीन उप–संचालक पद भी सृजित किये गये। दो वर्ष बाद ये पद भी समाप्त कर दिये गये क्योंकि निरीक्षण के अभाव पर उच्च शाला शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसके स्थान पर संभाग स्तर पर शिक्षा अधीक्षक के 4 पद सृजित किये गये। इस प्रकार रायपुर की शिक्षा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर संभाग के अधीन आ गया।[7]

स्त्री–शिक्षा का प्रसार :–

प्रारंभिक इतिहास :–

मध्यप्रांत में स्त्री शिक्षा का प्रारंभ उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के आस–पास हुआ। प्रान्तीय समिति ने शिक्षा 1884 को दिये अपने प्रतिवेदन में रायपुर के तीन कन्या शालाओं का उल्लेख किया। जिसमें 105 बालिकाएं अध्ययनरत थी। बालिका शिक्षा के प्रति परम्परागत विरोध, आर्थिक पिछड़ापन, बस्तियों की दूर–दूर बसाहट तथा आदिवासी बहुलता उसकी धीमी गति के मुख्य कारण रहे है।

इस प्रकार 1894–95 तक जिले की प्राथमिक शालाओं में बालिकाओं की औसत उपस्थिति 171 थी। तथा शाला जाने योग्य आयु की कुल बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत 0.2 था, यह 1910–11 में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अथक प्रयास किये गये तथा नई कन्या शाला खोलने के लिए सहायक अनुदान मंजूर किये गये।

1902–03 में स्त्री शिक्षा के संबंध में विशेष उपाय किये जाने के कारण कन्या शालाओं का प्रान्तीयकरण किया गया, जो स्थानीय निकायों के प्रबंध के अधीन थी। 1906–07 में रायपुर जिले की 11 कन्या शालाओं में से 5 शाला का प्रबंध सरकार करती थी, जिसमें 460 बालिकाएं अध्ययनरत थी। तथा शेष 6 शालाऐं अनुदान प्राप्त थी जिसका प्रबंधन मिशनरियों द्वारा होता था। जिसमें 395 बालिकाएं अध्ययनरत थी।

सन् 1920–21 तक शासकीय शालाओं में बालिकाओं की औसत उपस्थिति में सुधार हुआ यह 566 हो गयी। तथा माध्यमिक शालाओं में बालिकाओं की औसत उपस्थिति 77 थी।[8]

© Copyright @ Authors

बालिका शिक्षा :–

संगठन :– लड़कियों को मुख्य रूप से लिंग आधारित विशेष विद्यालय में शिक्षित किया जाता था। इनका स्कूल भौतिक संगठन के रूप में लड़कों के स्कूल जैसा ही है। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय शामिल था। इन विद्यालय और महाविद्यालय का प्रबंधन भी बालक स्कूल जैसा ही था। लेकिन मध्यप्रांत में कई स्कूलों और कॉलजों का प्रबंधन सरकार अपने हाथो में ले लिया था। कई लड़कियां, विशेष प्रथा 'पर्दा' और कम उम्र शादी की साधारण मांग के माध्यम से लड़कों के स्कूल में पढ़ती है। जो 12 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे स्कूलों में पढ़ाई न करें। बर्मा में ऐसी प्रथाएं नहीं पाये गये वहां अधिकांश विद्यालय मिश्रित था। भारत में कुछ ऐसे समुदाय भी जहां पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। हालाकि लड़कियों की शिक्षा आम तौर पर अलग–अलग की जाती है।[9]

समिति :–

कई विद्यालय में महिला समिति गठन करने का प्रयास किया ऐसी समितियों में महिलाओं की सेवा प्राप्त करना आसान नही था। पंजाब में मुख्य निरीक्षक का कहना है कि इस बात पर आम सहमति थी कि भारतीय महिलाओं को बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु अग्रणी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश नीजि निकायों द्वारा स्कूलों में यह उद्देश्य पूरा न हो सका और न ही महिलाएं किसी विद्यालय की प्रबंधन में हिस्सा लेती थी। आम तौर पर पुरूषों की ही समिति विद्यालय चलाते थे तथा वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य भी करते थे।

जहां तक संभव हो बालिका विद्यालय में पर्यवेक्षण को पृथक निरीक्षण के अधीन रखा गया है। नियुक्त हुए महिला कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है ।

सारणी–2.1

प्रांत	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक
मद्रास	3	11
बाम्बे	3	–
बंगाल	2	10
संयुक्त प्रांत	11	3
पंजाब	5	2
बर्मा	–	1
बिहार उडीसा	2	6
मध्यप्रांत	2	4
असम	1	–
उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत	1	–
दिल्ली	1	–
कुल	31	37

स्रोत :–Education in India 1912-17 page 167

1912 तक निरीक्षको की संख्या 20 तथा सहायक निरीक्षको की संख्या 23 थी। सर्वे के बाद इनके संख्या क्रमशः 31व 37 हो गयी।

आमतौर पर निरीक्षको का मुख्य कर्तव्य प्रशिक्षण विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित होता है। परन्तु कई प्रांतो में सहायक निरीक्षक का पद नही था। अतः सम्पूर्ण काम निरीक्षकों को करना पड़ता है। निरीक्षकों की सहायता हेतु अधीनस्त कर्मचारी होते थे।[10]

© Copyright @ Authors

बालिका शिक्षण संस्थान :–

लड़कियों के लिए कुल शिक्षण संस्थान 21,320 था। निर्देश के तहत लड़कियों की संख्या 12,30,420 है जिनमें से 720,723 लड़कियों के स्कूल में तथा 509,696 लड़कों के स्कूल में है। सार्वजनिक संस्थानों के लिए आंकड़े 19365 स्कूल तथा 1156468 छात्र।

मध्यप्रांत एवं बरार में निर्देश के तहत लड़कियों की संख्या 30,847 तथा महिला जनसंख्या में लड़कियों की प्रतिशत 0.39 तथा यही आंकड़ा 1916–17 में बढ़कर क्रमशः 37,352 व 0.54 प्रतिशत हो गये। भारत सरकार का तत्कालीन रिपोर्ट तालिका में निम्नलिखित है

सारणी–2.2

क्र.	प्रांत	1911–12		1916–17	
		निर्देश के तहत लड़कियों की संख्या	निर्देश के तहत महिला जनसंख्या में लड़कियों की प्रतिशत		
1	मद्रास	226,685	1.1	325889	1.5
2	बाम्बे	453,090	1.2	144,621	1.5
3	बंगाल	236,140	1.1	300,895	1.3
4	संयुक्त प्रांत	54,320	0.24	70,712	0.32
5	पंजाब	53,909	0.39	69,702	0.79
6	बर्मा	79,416	1.3	12,488	2.1
7	बिहार / उड़ीसा	93,326	0.49	11,388	0.63
8	म.प्रा. एवं बरार	30,847	0.39	31,352	0.54
9	असम	18,426	0.54	28,624	0.88
10	उत्तर–पश्चिमी	4,820	0.47	4425	0.44
11	लघु प्रशासन	1,935		11,323	1.6
भारत		952,923	0.76	1230,419	1.03

स्रोत :–Education in India 1912-17 page 167

उपस्थिति :–लड़कियों के स्कूलों में उपस्थिति हमेशा एक कठिनाई होती थी। 1916–17 में लड़कियों की उपस्थिति 47.7 प्रतिशत है। जबकि लड़कों की उपस्थिति 85.2 प्रतिशत से काफी कम है। 1911–12 में लड़कियों की उपस्थिति 43.7 प्रतिशत थी। उपस्थिति की यह कमी एक सर्वोपरी और अत्यधिक असंतोषजनक विशेषता है।

सारणी–2.3 विभिन्न समुदाय की आंकडा (1916–17)

क्र.	समुदाय	लड़कियो की संख्या	समुदाय में महिला जनसंख्या की प्रतिशत
1	यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीय	20497	22.5
2	भारती ईसाई	87334	8.0
3	हिन्दू		
	ब्राहम्ण	145,024	2.6
	गैर ब्राहमण	558,730	0.76
4	मुस्लिम	284,661	1.03
5	बौद्ध	106544	1.9
6	पारसी	6220	14.8

© Copyright @ Authors

7	अन्य	21,409	0.44
	कुल (भारत)	1230419	1.03

स्रोत :–Education in India 1912-17 page 167

आंग्ल–भारतीय, भारतीय ईसाई तथा पारसियों की आंकड़े उच्चतम है।

सामान्य विकास :–

कठिनाइयां –

बालिका शिक्षा की मुख्य कठिनाईयों को अच्छी तरह से जाना जाता है। अभी भी समस्या शैक्षिक के बजाय सामाजिक है। जिन बाधाओं को हम आंशिक रूप से शैक्षिक समस्या में वर्णित किये है उनमें लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना उचित अवधि के लिए वहां रहने में कठिनाई होना सक्षम महिला शिक्षको की कमी पुरूषों के साथ रोजगार देने के प्रति पूर्वाग्रह और मतभेद शामिल है।

मेयो ने स्थानीय शिक्षा में हुई निराशाजनक प्रगति की बात करते है वह इसे जनता के बीच वास्तविक मांग की अनुपस्थिति को बताता है। वे कहते है ''शिशु कक्षाओं पहली कक्षा तथा उच्च कक्षा की मुट्ठी भर लड़कियों को पढ़ाने में अक्षम शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षकों की आपूर्ति में तभी सुधार किया जा सकता है जब वास्तविक शिक्षा की बढ़ती मांग हमारी उच्च कक्षाओं को भर दें और हमारे चयन के क्षेत्र को बढ़ा दे। जब तक आपूर्ति में सुधार नही होता तब तक स्कूलों के खर्च में वृद्धि प्रांत की महिलाओं को बिना किसी भौतिक लाभ की हमारे निम्न वर्गो की और अधिक पीड़ा का कारण बनेगी।'' हर तरफ महिला शिक्षको की आवश्यकता का शिकायते आती है।[11]

निम्न प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत 95.3 है। जो कि लड़कों की तुलना में काफी 88.9 प्रतिशत अधिक है। परन्तु अस्पष्ट तथ्य यह है कि अभी भी 38.8 प्रतिशत बालिकाओं को मुद्रित पुस्तके पढ़ने नही आती। लड़कों में यह मामला 28.8 है।

अन्य कठिनाइयों में विभिन्न जाति या पंथ की लड़कियों को एक साथ स्कूल आना भी है परन्तु यह समस्या सार्वभौमिक नही है। बंगाल रिपोर्ट यह कहता है कि निम्न जाति के बालिकाएं ब्राह्मण बालिकाओं के साथ बेंच साझा करती पायी गई। अतः जातिगत विद्यालय आवश्यक नही है।

जनता के स्वभाव में बदलाव :–

दूसरी तरफ शिक्षित बालिकाओं की संख्या में वृद्धि, हालाकि अपने आप में बहुत कम है परन्तु निरंतर प्रगति है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि अब जनता धीरे–धीरे बदलाव की ओर है। पंजाब में मुख्य निरीक्षक का कहना है '' भारती जनता'' की राय में महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक नापसंदगी के अपने पूर्व दृष्टिकोण को धीरे–धीरे बदल रहा है। और अब हर समुदाय के संबंध में पहले से अधिक अनुकूल है। आर्य समाज, सनातन धर्म और खालसा समाज शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने में प्रयास कर रहे है। और अंजु–मन–ए–इस्लामियां धीरे–धीरे अपने स्वयं की विद्यालय का स्थापना कर रहा है। इसका एहसास तब हुआ, जब पेशेवर पुरूष भी अपने बेटा का शादी शिक्षित लड़कियों से करना शुरू किये। जो सही अर्थो में काफी मददगार हो सकते है। इसलिए माता–पिता भी अपनी बेटी की शादी की संभावनाओं को पूरा करने हेतु शिक्षा को महत्व देने लगे।[12]

यह टीप्पणी संभवतः माध्यमिक स्कूल के लिए अधिक कारगार सिद्ध हुआ, क्योकि इस समय माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। वह अपनी बात फिर दोहराते है कि पुरूष अपने लिए शिक्षित महिलाओं की मांग करने लगे है। इसकी शुरूआत महिला शिक्षा करेगी।

बालिका शिक्षा की जरूरतों की पहचान करना :–

12 अक्टूबर 1915 को श्रीमती फावसेट की अध्यक्षता में एक प्रतिनियुक्ति ने भारत के राज्य सचिव से मुलाकात किया, और महिला शिक्षा के पिछड़ेपन की ओर ईशारा किया और एक जांच समिति का

© Copyright @ Authors

प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को संबोधित कर राय और विचार मांगे। तथा कुछ सिफारिशे की गई।

हालाकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने समस्या की विकट प्रकृति को पहचान लिया था। जिससे यूरोपीय तथा भारतीय दोनो महिलाओं की सलाह और सहयोग की जरूरत है। उदा. के लिए 1905 में संयुक्त प्रांत ने एक समिति को बुलाया था 1908 में पूर्वी बंगाल और असम ने महिलाओं की आधी संख्या वाली एक समिति की स्थापना की थी। हिन्दू महिलाओं की विशेष सुविधाओं तथा उनके सुधार पर विचार करने के लिए 1914 में एक समिति बुलाई गयी।[13]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शिक्षा और समाज, क्रीसेंट प्रकाशन, मथुरा, 2015 पृष्ठ 183–185
2. उपरोक्त
3. उपरोक्त
4. पटेल, उमेश चन्द्र, बालिका शिक्षा के आवश्यकता के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का समीक्षात्मक अध्ययनः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर के परिपेक्ष में, लघु शोध प्रबंध, बिलासपुर
5. वर्मा, राजेन्द्र, जिला गजेटियर रायपुर, 1973 पृष्ठ 382
6. वर्मा, राजेन्द्र, जिला गजेटियर रायपुर, 1973 पृष्ठ 382
7. उपरोक्त
8. वर्मा, राजेन्द्र, जिला गजेटियर रायपुर, 1973 पृष्ठ 382
9. Sharp, H, Progress of Education in India 1912-17, superitendent Goverment printing India, Culcutta 1918, Vol. 1, Page 167
10. उपरोक्त
11. उपरोक्त
12. उपरोक्त
13. उपरोक्त

© Copyright @ Authors